न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 22/2021 बउनवानी सिरमोहन मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अ
द्वारा– मुजीब अहमद एडवोकेट,2 पनजी पीरन, लाला लाजपतराय मार्ग नई दिल्ली–110014

GCMS No-2021/54

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
22.6.2021	लोक डाउन के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. जमाबन्दी सम्वत् 1950 से 1960 ख0न0 430,414 ग्राम मानेगा, तहसील हिण्डौन जिला करौली की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू0अ0/2021/670 दिनांक 25.1.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था तथा पुनः पत्रांक 2520 दिनांक 6.4.2021 से न्यायालय को अवगत कराया कि ग्राम मानेगा तहसील हिण्डौन से संबंधित रिकार्ड जिला करौली को भिजवाया जा चुका है कथन के समर्थन में जिला करौली को भिजवाये गये रिकार्ड की सूची भी संलग्न की गयी है इस प्रकार चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला करौली को भिजवा दिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना सें संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखार से जिला कलेक्टर करौली को भिजवाया जा चुका है तथा जवाब के साथ संलग्न सूची में रिकार्ड जिला कलेक्टर करौली को भिजवाया जाना पाया गया है किन्तु किस दिनांक को एवं किस कार्मिक को रिकार्ड सम्भलाया गया है स्पष्ट नही है। अतः प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर करौली को भिजवाये गये रिकार्ड की पूर्ण सूची 15 दिवस मे अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.22 16:36:10 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर